न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–38 / 2022 (2022 / 251) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–जाफर स्याह पिता कादर स्याह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 70 में अंकित साबिक आराजी संख्या 681 / 1ख रकबा 12 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी एवं नक्शाट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात साबिक नक्शे में विपक्षी संख्या 2 की साबिक आराजी संख्या 681 / 2 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. आचा कुई के पश्चिम में स्थित थी तथा विपक्षी संख्या 2 की उक्त कुई व उसको फेरा प्रार्थी की साबिक आराजी के पूर्व दिशा में होकर काश्त करते चले आ रहे है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम मोखुन्दा का भी भुप्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थी की साबिक कृषि आराजी संख्या 681 / 1ख के नवीन नम्बर 833 रकबा 0.13 है0 तथा विपक्षी की साबिक कृषि आराजियात 681 / 2 के नवीन नम्बर 834 रकबा 0.02 है0 कायम किये गए। भुप्रबन्ध के दौरान भुप्रबन्ध विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर तो सही कायम किये गये परन्तु नवीन नक्शा में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 की नवीन आराजी संख्या 833 व 834 को मौके की स्थिति व साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 834 रकबा 0.02 है0 को प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि में तरमीम कर दिया जबकि मौके पर विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 834 प्रार्थी की आराजी संख्या 833 के पश्चिम में स्थित है। भुप्रबन्ध विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो का उक्त कृत्य बिना किसी विधिक आदेश के होने से गलत होकर अवैध है जिससे प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 833 को नवीन नक्शे में मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के अनुसार दुरूस्त करना न्यायोचित हो गया है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम मोखुन्दा में स्थित नवीन आराजी संख्या 833 रकबा 0.13 है0 को नवीन नक्शे एवं ऑनलाईन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने तथा विपक्षी संख्या 2 की नवीन आराजी संख्या 834 रकबा 0.02 है0 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थी की आराजी संख्या 833 के पश्चिम में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार रायपुर से जवाब के रूप में मौका रिर्पोट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 2 की ओर जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्णित सभी तथ्यो को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी की पुरानी जमाबन्दी में

जाफर स्याह पिता कादर स्याह है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में विपक्षी का नाम जाफर जाफर पुत्र कादर जाफर कर दिया गया है जिससे विपक्षी के नाम पुनः जमाबन्दी में जाफर स्याह पिता कादर स्याह दुरूस्त कराया जाना न्यायोचित है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुझ विपक्षी का नाम दुरूस्त कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान फरमाया जाए।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मोखुन्दा की आराजी संख्या 833 रकबा 0.13 है0 प्रार्थी कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा के एवं आराजी संख्या 834 रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु. आचा विपक्षी जाफर स्याह पिता कादर स्याह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की आराजी संख्या 833 के पूर्वी सीमा के बहार आराजी संख्या 838 के उत्तरी दिशा में मौके पर कुआं स्थित है जिस पर विपक्षी खातेदार जाफर स्याह पिता कादर स्याह का कब्जा है मौके पर कुआं का फेरा व धाबड़ा आराजी संख्या 833 की पूर्वी मेड़ के पूर्वी दिशा में आराजी संख्या 838 में स्थित है। आराजी संख्या 834 नक्शे में दर्शाया गया है वहां पर कुआं नही है और वह भूमि आराजी संख्या 833 का भाग होकर खेत बना हुआ होकर काश्त हो रही है। मौके पर स्थित चाह को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शे के अवलोकन कर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 834 को आराजी संख्या 833 की सीमा में दर्शा रखा है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 834 रकबा 0.02 है0 भूमि जो रेकार्ड में गै.मु. आचा है को आराजी संख्या 838 के उत्तरी पश्चिमी कोने में चाह दर्शाते हुए पूर्व की ओर फेरा होना ट्रेस में दर्शाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा मौके पर स्थित चाह को मौके अनुसार दर्ज नही कर मौके के विपरीत दर्ज कर दिया गया है जबकि मौके पर आज भी जहां चाह है उस जगह तहसीलदार द्वारा लाल स्याही से चाह को प्रदर्शित कर रखा है। राजस्व रेकार्ड और नक्शे में एकरूपता होनी चाहिये इस प्रकरण में जहां चाह दर्शा रखा है वहां चाह नही होकर अन्य जगह स्थित है जो उचित नही होने से सही जगह पर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का मोखुन्दा के ग्राम मोखुन्दा के राजस्व नक्शे में वर्तमान में दर्ज आराजी संख्या 833 व 834 को संलग्न नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में संशोधित कर मौके पर जिस जगह आराजी संख्या 833 स्थित है वहां आराजी संख्या 833 एवं जिस जगह आराजी संख्या 834 (आ.चा.) स्थित है उस जगह आराजी संख्या 834 को दर्ज कर राजस्व नक्शे को संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/07/2022

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—38/2022 (2022/251) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—जाफर स्याह पिता कादर स्याह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का मोखुन्दा के ग्राम मोखुन्दा के राजस्व नक्शे में वर्तमान में दर्ज आराजी संख्या 833 व 834 को संलग्न नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में संशोधित कर मौके पर जिस जगह आराजी संख्या 833 स्थित है वहां आराजी संख्या 833 एवं जिस जगह आराजी संख्या 834 (आ.चा.) स्थित है उस जगह आराजी संख्या 834 को दर्ज कर राजस्व नक्शे को संशोधित किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

13-07-2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)